U. P. State Industrial Nevelopment Corporation Ltd.



UPSIDC Complex A-1/4, LAKHANPUR KANPUR - 208 024

PHONE: 0512-2582851-53 (PBX)

FAX : 0512-2580797
Website : www.upsidc.com
E.Mail : feedback@upsidc.com

Reference No. 2051-54

1510C/1A/1Yentona Charges (Volded 6) alt 18-12-18

-: कार्यालय आदेश :--

निगम के संचालक मण्डल की दिनांक 21.11.2018 को सम्पन्न 300वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार औद्योगिक एवं व्यवसायिक/फेसिलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाऊसिंग तथा संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिये दिनांक 01.7.2018 से देय अनुरक्षण शुल्क की दरें निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

(क) औद्योगिक भूखण्डों हेतु :--

क्र0 स0	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी	निर्धारित अनुरक्षण शुल्क (दि० ०१.०७. २०१८ से देय)	टिप्पणी	
1	2	3	4	
1.	धीमी गति	रू० 12.00 प्रति वर्गमी० वार्षिक	किसी आबंटी द्वारा देय वार्षिक अनुरक्षण शुल्क की अधिकतम धनराशि उन्हे आबंटित भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 100 एकड़ क्षेत्रफल, जो भी अधिक हो, हेतु स्तम्भ संख्या—3 में उल्लिखित दर के अनुसार आगणित की जायेगी।	
2.	तीव्र एवं अति तीव्र गति	रू० 24.00 प्रति वर्गमी0 वार्षिक	——तदैव——	

(ख) व्यवसायिक / फेसिलिटी / एकल आवासीय / ग्रुप हाऊसिंग तथा संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) उपयोग हेतु :-

उपरोक्त प्रकृति के आबंटित भूखण्डों में दिनांक 01.07.2018 से देय वार्षिक रख—रखाव शुल्क की दरें यदि आबंटन पत्र/लीजडीड आदि में विशिष्ट रूप से प्रावधानित हैं तो तदनुसार रख—रखाव शुल्क/सर्विस चार्ज लिया जाएगा अन्यथा वार्षिक रख—रखाव शुल्क निम्नांकित दरों पर देय होगा :—

	औद्योगिक क्षेत्र / सेक्टर में स्थित	सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर के औद्योगिक	
1	व्यवसायिक / फैसिलिटी उपयोग	भखण्डों हेत् निर्धारित रख–रखाव शुल्क की दर	
	हेतु आबंटित भूखण्ड	का 2.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष	

2.		समीपरथ औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक मूखण्डी हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 2.0 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष	
3.	हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्बन्धित आवासीय क्षेत्र/सेक्टर के एकल आवासीय मूखण्डों हैतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 2.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष	
4.	ग्रुप आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्यन्धित आवासीय क्षेत्र के एकल आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित रख—रखाव शुल्क की दर का 1.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष	
5.	औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर में रिधत संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर के औद्योगिक भूखण्डों हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 1.25 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष	
6.	आवासीय क्षेत्र/सेक्टर में रिथत संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्बन्धित आवासीय क्षेत्र/सेक्टर के एकल आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित रख–रखाव शुल्क की दर का 1.25 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष	

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी उपरोक्तानुसार आवंटियों से देयों के मॉग पत्र समय से निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(सजेश कुमार सिंह) प्रबन्ध निदेशक 77.12.18

संख्या २०८१-५५ एसआईडीसी-आईए-मेन्टीनेन्स चार्ज-पालिसी वाल्यूम-16 दि० | ८ न २ ने ६ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

समस्त अधिकारी / कर्मचारी, (औ० क्षे० अनुभाग), उ०प्र०रा०औ०विश्वनि०लि०, मुख्यालय,

कानपुर।

4. गार्ड फाईल

(राजेश कुमार सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

वकास निगम लिमिटेड

LITEU

Herry 208 024

Grana 2582221 53

Grana 2582221 53

Grana (0512) 7580797

anenge arma upside com

g her

leednack at upside com

सन्दर्भ स०

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/

-: कार्यालय आदेश:-

निगम निदेशक मण्डल की दिनाक 07.8 15 को सम्पन्न 287वी बैठक में निगम के आद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव शुल्क को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में निगम के रख-रखाव शुल्क में वृद्धि निम्नानुसार तत्काल प्रमाव से सभी आवंटियो पर लागू की गर्धा है-

新 . 书.	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी	वर्तमान रख-रखाव शुल्क दर (प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष)	प्रस्तावित रख-रखाव शुल्क दर (प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष)	टिपाणी
1	2	3	4	5
1	अति तीव्रगामी	₹50 8/-	₹50 40 / -	अधिकतम शुल्क की सीमा रू० 3.00 लाख प्रतिवर्ष होगी
2	तीवगामी	₹0 8/-	₹50 40 / -	अधिकतम शुल्क की सीमा रू० 3.00 लाख प्रतिवर्ध होगी
3	धीमी गति	₹50 2/-	₹0 20/-	अधिकतम शुल्क की शीमा २०० 1.50 लाख प्रतिवर्ध होगी

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक दि० ३८-४-१८

संख्या 1611 - 14 एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यूम-16 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव एवं समस्त अनुभागाध्यक्ष , उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।

2 महा प्रबन्धक (विकास) को इस आशय से प्रेषित कि निगम की वेबसाईट पर उपरोक्त आदेश को लोड कराना सुनिश्चित करे।

3. सगरत क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०राठऔठविठनिठलिए,

4. समस्त अधिकारी / कर्मवारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, (औ० क्षे०), मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक